BEFORE THE HON'BLE COURT OF BOARD OF REVENUE

CAMP: BHOPAL

IN RE IIND APPEAL NO. 2014

(ARISING OUT OF THE I ST APPEAL NO. 44/APPEAL/2008- 2009) & ORDER IN REVIEW APPLICATION)

IN THE MATTER OF :

1. Chhavi Ram S/o Gokul a ged 60 years
2. Ram Gopal S/o Gokul Prasad aged 35 years
3. Vija y/Singh S/o Gokul Pra sa d/aged 58 years

Caste of All Kusha waha All residents of
Village: Kokalpur, Tehsil- Begamganj
Distt: RAISEN (M.P.) .. .. APPELLANTS

V/s

Ramesh Kumar S/o Bhanwar Lal a ged 58 years
R/o Begamganj RAISEN : .. .. NON- APPELLANT

SECOND APPEAL U/S 44(3)A OF THE LAND REVENUE CODE - 1959

The Appella nts Respectfully Showeth :

MAIN POINT NO. 1

(1) CAUSE OF ACTION OF THIS REVIEW FOLLOWED BY THIS .... IIND APPEAL :!

(A) Impugned Order / Judgement - dated 23/06/2001 in the case NO. 44/APPEAL/2008- 09

(B) Passed by the authority- Shri Urmil Mishra, Upper AAyukt (Commissioner) Bhopal Division, Bhopal

COnTD.... 2

(C) Against the appellants who were aggrieved by the earlier order dated 22/07/2008 of the court of - Sub- Divisional Officer (Anuvibhagiya Aadhikary) Revenue Begamganj in the appeal NO. 5/APPEAL/A-6/A/6A/2007-08 (Annex. NO. *-A)

MAIN POINT NO. 2

The appellants having been aggrieved by the impugned order mentioned UTSUPRA IN Point - 1 (A & B) ha preferred the review application on the following grounds Bu WAS ARBITRARILY UN APPRECIABLY &CALLOUSLY REJECTED. HENCE - PREFERRED THIS II ND APPEAL ON THE SAME POINT

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1225–पीबीआर/2014 , जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–4–2014	अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7–1–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 44 की उपधारा 3 ए के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 में उपधारा 3 ए प्रावधानित नहीं है । केवल उपधारा 3 में यह प्रावधानित किया गया है कि पुर्नविलोकन में, किसी आदेश में फेरफार करते हुये या उसे उलटते हुये पारित किया गया कोई आदेश उसी रीति में अपीलनीय होगा जिस रूप में मूल आदेश अपीलनीय होता है । अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और उक्त आदेश से मूल आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । अतः अपर आयुक्त का आदेश अपीलनीय आदेश नहीं है । संहिता की धारा 46 ख के अंतर्गत यदि पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तब उसकी अपील नहीं होगी । इस प्रकार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	